प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-38027/प्रो0अनु0(2)-280/2024 (बैठक दिनांक-10.12.2024) दिनांक-12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, मोहद्दीनपुर, हाल पता-काशीपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। **प्रथम घटना-**पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों, लाठी व भाला से मारकर व घरों में आग लगाकर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी। **द्वितीय घटना-**दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **तृतीय घटना** दूध को लेकर हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.01.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर एवं बॉके से प्रहार कर तिलकराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-(1)एसटीनं0-79/1985 भा0द0वि0 की धारा-148,452,436/149,440/149, 307/149, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एसटी नं0-80/1985 भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 28.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 29.04.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (3) एसटीनं0-640/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 07.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा **प्रथम केस**- में बंदी ने दिनांक 06.09.2024 तक अपरिहार 26 वर्ष, 08 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 34 वर्ष, 04 माह, 20 दिन की सजा पूरी कर ली है। **द्वितीय केस-** में बंदी ने दिनांक 08.08.2024 तक अपरिहार 25 वर्ष, 06 माह,18 दिन तथा सपरिहार 33 वर्ष, 02 माह, 12 दिन की सजा पूरी कर ली है। **तृतीय केस-** में बंदी ने दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 07 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 04 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या- 1658/22-02-2004-25(94)/97,दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों, लाठी व भाला से मारकर व घरों में आग लगाकर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी, द्वितीय घटना दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं तृतीय घटना-दूध को लेकर हुयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.01.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर एवं बॉके से प्रहार कर तिलकराम नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 03 अलग-अलग वादों में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर (बन्दी संख्या-37226) पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-182/2025/2233(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-182/2025/2233/22-2-2024-17(119)/2018

दिनांक 24 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, मोहद्दीनपुर, हाल पता-कशीपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। **प्रथम घटना-**पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों, लाठी व भाला से मारकर व घरों में आग लगाकर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी। **द्वितीय घटना-**दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **तृतीय घटना** दूध को लेकर हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.01.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर एवं बॉके से प्रहार कर तिलकराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-(1)एसटीनं0-79/1985 भा0द0वि0 की धारा-148,452,436/149,440/149, 307/149, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एसटी नं0-80/1985 भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 28.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 29.04.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (3) एसटीनं0-640/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 07.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा **प्रथम केस**- में बंदी ने दिनांक 06.09.2024 तक अपरिहार 26 वर्ष, 08 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 34 वर्ष, 04 माह, 20 दिन की सजा पूरी कर ली है। **द्वितीय केस-** में बंदी ने दिनांक 08.08.2024 तक अपरिहार 25 वर्ष, 06 माह,18 दिन तथा सपरिहार 33 वर्ष, 02 माह, 12 दिन की सजा पूरी कर ली है। **तृतीय केस-** में बंदी ने दिनांक 18.09.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 07 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 04 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97,दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों, लाठी व भाला से मारकर व घरों में आग लगाकर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी, द्वितीय घटना दिनांक 02.01.1985 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं तृतीय घटना-दूध को लेकर हुयी कहासुनी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.01.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर एवं बॉके से प्रहार कर तिलकराम नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 03 अलग-अलग वादों में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।